भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3847

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2023 को दिया जाना है।

.....

जल संरक्षण

3847. श्री जी. एम. सिद्देश्वर:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान देश में जल संरक्षण और भूजल के स्तर में वृद्धि करने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य-योजना की रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या उक्त योजना के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) से (ग): जल राज्य का विषय है और केन्द्र सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल संरक्षण सरकार की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक है जिसे राज्यों के साथ निकट समन्वय से पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। देश में जल के संरक्षण और भूजल के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:

(i) भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान-2020 केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से तैयार किया गया है, जो अनुमानित लागत सहित देश की विभिन्न भू-भाग स्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को दर्शाती एक वृहद स्तरीय योजना है। मास्टर प्लान में मानसून वर्षा के 185 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) का दोहन करने के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस मास्टर प्लान को कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित कर दिया गया है। इस मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ii) जल शक्ति मंत्रालय वार्षिक आधार पर वर्ष 2019 से जल शक्ति अभियान (जेएसए) को लागू कर रहा है। कोविड महामारी के कारण वर्ष 2020 में जेएसए को लागू नहीं किया जा

सका। वर्तमान वर्ष में, जल शक्ति अभियान: कैच द रेन 2023, जेएसए की श्रृंखला में चौथा, भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 04.03.2023 से 30.11.2023 तक देश के सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी) में कार्यान्वयन के लिए शुरू किया गया है।

(iii) सरकार वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का कार्यान्वयन कर रही है, जिसका उद्देश्य खेत तक पानी की वास्तविक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, कृषि जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, संपोषणीय जल संरक्षण प्रथाओं को शुरू करना आदि है।

(iv) अटल भूजल योजना (अटल जेएएल) 2019 में 7 राज्यों अर्थात् गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पहचान किए गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जल की कमी वाले क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन सहित भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

(v) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) घटक के अंतर्गत एक कार्यकलाप के रूप में जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाएं शामिल हैं।

(vi) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण उपायों की आवश्यकता पर पर्याप्त ध्यान देने के साथ दिल्ली के एकीकृत भवन उपनियम (यूबीबीएल), 2016, मॉडल भवन उपनियम (एमबीबीएल), 2016 और शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014 जैसे स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त उपायों को अपनाने के लिए राज्यों के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

(vii) 15वें वित्त आयोग के अनुदान ग्रामीण स्थानीय निकायों के माध्यम से उपयोग किए जाने के लिए राज्यों को जारी किए गए हैं। 15वें वित्त आयोग से संबंधित अनुदानों के तहत विभिन्न राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता का उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन के लिए किया जा सकता है।

****